न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर (राज0)

अपील/रसद/06/2024

गौरेलाल उचित मूल्य दुकानदार ग्रांम पंचायत मुढेरा तहसील रुपवास जिला भरतपुर
.....अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील विरुद्व आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दिनांक 10.6.2024

उपस्थितः—
1—श्री पंकज कुमार अभिभाषक अपीलान्ट,
2—प्रवर्तन अधिकारी,पेरोकार रसद,

निर्णय दिनांक 16.10.2024

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्व रेस्पो0 जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 10.6.2024 के खिलाफ पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.6.24 में अपीलान्ट को जारी प्राधिकार पत्र को निरस्त किया जाकर जमा शुदा प्रतिभूति राशि को जप्त किये जाने की आज्ञा पारित की गई है। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पो0 एवं पत्रावली तहत तलब की गई। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। तहत न्यायालय ने अपीलान्ट के खिलाफ विचाराधीन जांच में दिनांक 13.12.2023 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 10.1.2024 नियत की गई थी। प्रार्थी जब नियत दिनांक 10.1.24 को तहत न्यायालय में उपस्थित हुआ तब बताया कि आपकी फाईल आई नहीं है। अगली पेशी के बारे में आपको सुचित कर दिया जावेगा। लेकिन अगली तारीख पेशी के बारे में प्रार्थी को कोई सूचना नहीं दी गई और ना बताया गया। दिनांक 11.2.24 को पुनः सुनवाई करते हुये अपीलान्ट को सुचित किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया । तहत न्यायालय ने अपीलान्ट के

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

जबाब पर कोई टिप्पणी नहीं की, माह अक्टूबर व नवम्बर 2013 का गेहूं उपभोक्ताओं को वितरित कर दिया गया था सहवन से उपभोक्ताओं के राशनकार्ड में इन्द्राज करने से रह गये थे। योग्य अभिभाषक का कहना है कि 18.5 क्वि. गेहूं की कोई हेरा फेरी नहीं की गई, वितरण में मदद के लिये रखे गये सहायक द्वारा गलत रुप से रजिस्टर में इन्द्राज कर दिये जिसके कारण यह आरोप लगाया गया है जो गलत है। वक्त जांच दुकान पर कोई अतिरिक्त स्टाक नहीं मिला है। अपीलान्ट के खिलाफ जो एफ.आई. आर. दर्ज कराई गई है उस पर आज तक कोई कार्यवाही नही हो सकी है। योग्य अभिभाषक ने बताया कि अपीलान्ट ने कोई गबन नहीं किया है और ना ही राशन वितरण में कोई अनियमितता की है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

पेरोकार सरकार प्रवर्तन अधिकारी रसद ने अपने कथनों में जाहिर किया है कि राजस्थान संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायत पर अपीलान्ट डीलर की दुकान की जांच दिनांक 8.3.2014 को प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। उक्त जांच में अक्टूबर एवं नवम्बर 2013 का क्रमश' 108, एवं 108 कुल 216 क्वि. गेहूं का वितरण न कर गबन किया जाना पाया गया एवं इस तथ्य की पुष्टि हेतु उपभोक्ताओं के बयान लिये गये एवं बाद जांच खाली 24 राशनकार्ड भी जप्त किये गये। वक्त जांच डीलर मोके पर उपस्थित नहीं था एवं बाद में प्रस्तुत किये गये स्टॉक एवं वितरण रजिस्टरों के आधार पर भी 18.50 क्वि गेहूँ की हेराफेरी करना रिकॉर्ड में पाया गया। इस गबन प्रथम सूचना रिपोर्ट 61/2014 पुलिस में दर्ज कराई गई। उक्त निरस्ती के आदेश के विरुद्ध गोरे लाल उचित मूल्य दुकानदार द्वारा श्रीमान न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई एवं उक्त अपील संख्या 17/14 में श्रीमान न्यायालय द्वारा दिनांक 28.3.2016 को जिला रसद अधिकारी के आदेश दिनांक 9.6.2014 को अपास्त करते हुये प्रकरण में डीलर को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देतु हुए पत्रावली जिला रसद अधिकारी भरतपुर को प्रति प्रेषित की गई। जिस पर श्रीमान के निर्देशानुसार अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य वगे0 का अवसर दिये गये परन्तु अपीलान्ट की ओर से कोई नये तथ्य पेश नहीं किये जाने से जिला रसद अधिकारी भरतपुर ने अपने आदेश दिनांक 29.12.17 से अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर प्रतिभूति राशि जप्त की गई। जिला रसद अधिकारी आदेश दिनांक 29.12.17 की अपील श्रीमान के न्यायालय मे की गई, जो श्रीमान द्वारा अपने अपील संख्या रसद/15/18 के आदेश दिनांक 23.5. 2022 को अपील आंशिक स्वीकार पुनः रिमान्ड की गई। श्रीमान के आदेश के अनुपालना करते हुये अपीलान्ट डीलर की सुनवाई की गई। अपीलान्ट की ओर से तहत न्यायालय में अपना जबाब पेश किया गया अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं किये गये हैं। अपीलान्ट के जबाब में सिवाय जुबानी कथनों के कोई साक्ष्य दस्तावेजी पेश नही किया गया जिससे उसके जबाब के कथनों की पुष्टी होती हो। अपीलान्ट पर लगाये

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

गये आरोप सिद्ध पाये गये हैं और अपीलान्ट ने प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2,6,8,10,11,15,17, व 18 का उल्लंघन किया जाना पाये जाने पर अपीलाधीन आदेश नियमों के अधीन पारित किया गया है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्षकारान के कथनों पर गोर किया। पत्रावली तहत का अवलोकन किया। अपीलान्ट के खिलाफ निम्न आरोप लगाये गये हैं। :—

1—उचित मूल्य दुकानदार द्वारा खाद्य सुरक्षा का माह अक्टूबर व नवम्बर 2013 का फर्जी वितरण रिकार्ड तैयार कर क्रमशः 108 क्विंटल व 108 क्विंटल कुल 216 क्विंटल गेंहूँ का गबन किया गया। इसकी पुष्टि में 24 रिक्त राशन कार्ड जप्त किये गये तथा उपभोक्ताओं के बयान लिये गये।
2—डीलर द्वारा माह अक्टूबर व नवम्बर 2013 में बीपीएल गेहूँ के स्टॉक रजिस्टर में हेराफेरी व फर्जी वितरण बताकर 18.50 क्विटल गेहू का गबन किया है।
3—डीलर द्वारा जांच हेतु यूनिट रजिस्टर, मासिक रिटर्न आदि प्रस्तुत नहीं कर जांच में असहयोग किया।
4— डीलर द्वारा उचित मूल्य दुकान पर मूल्य सूची का प्रदर्शन नहीं किया गया।

अपीलान्ट अभिभाषक का यह तर्क कि उसे सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका नही दिया गया स्वीकार योग्य नहीं क्यों कि तहत न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने तहत न्यायालय में अपने बचाव में जबाब पेश किया है। योग्य अभिभाषक का यह कहना कि तहत न्यायालय ने उसके जबाब का परिक्षण नहीं किया यह भी स्वीकार योग्य नहीं रहता क्यों कि अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जबाव का परिक्षण कर अपना मत व्यक्त किया है। अपीलान्ट ने अपने बचाव जबाब के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तावेज पेश नहीं किये गये जिससे उसके जुबानी कथनों की पुष्टी होती हो। इस सम्बन्ध में अपीलान्ट को आरोपों के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी अपीलान्ट अपने पक्ष में सिवाय मौखिक कथनों के कोई साक्ष्य दस्तावेजी पेश नहीं कर पाया है जिससे उसके ऊपर लगाये गये आरोपों को निराधार माना जा सके। अपीलान्ट के खिलाफ गबन से सम्बन्धित एफ.आई.आर. संख्या 61/2014 पुलिस में दर्ज है जिसमें भी पुलिस द्वारा Investigation होना है, जैसा कि योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने बताया कि अभी पुलिस द्वारा उक्त एफ.आई.आर. पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश सही पारित किया गया है जिसमें कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस जिला रसद अधिकारी भरतपुर को लोटाई जावे।
निर्णय आज दिनांक 16–10–2024 को सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)